पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 30 दिसम्बर, 2014

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

उ0प्र0 जैव प्रौद्योगिकी नीति, 2014 अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी नीति, 2014 को अनुमोदित कर दिया है। प्रदेश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए जैव प्रौद्योगिकी नीति को लागू करने का निर्णय लिया गया है। नीति के लागू हो जाने पर वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा आर्थिक विकास की योजनाओं और गतिविधियों को और तेजी से गति मिलेगी। नीति के क्रियान्वयन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी।

प्रदेश में उपलब्ध शोध व तकनीक व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करके तथा संगठित क्षेत्र के निवेश को आकर्षित कर राज्य को जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख स्थान दिलाना तथा जैव प्रौद्योगिकी इकाइयों एवं सम्बन्धित क्षेत्रों के औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष इन्सेन्टिव दिया जाना इस नीति के उद्देश्य में शामिल है। प्रदेश सरकार जैव प्रौद्योगिकी के प्रचार एवं विकास हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी कर शोध को उपयोगी बनाएगी, साथ ही शोध का उपयोग लाभप्रद तकनीकों एवं उत्पादों में करने का प्रयास करेगी।

जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रदेश एवं दूसरे राज्य का एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी शोध को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को विशेष अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य के सर्वोत्तम जैव प्रौद्योगिकी एवं नवोत्पाद को बौद्धिक सम्पदा अधिकार के माध्यम से संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करेगी। प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को अधिकाधिक बढ़ावा देने, निवेश को आकर्षित करने तथा उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित कदम उठाते हुए विभिन्न प्रकार की छूट, अनुदान एवं वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय जैव प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार जैव प्रौद्योगिकी का विजन ग्रुप स्थापित करेगी। इसके अलावा विज्ञान

एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 के स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेण्ट सेल गठित किया जाएगा।

राज्य महिला सशक्तीकरण मिशन के गठन का निर्णय

उ0प्र0 रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष नियमावली के प्रख्यापन को मंजूरी

आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश महिला नीति, 2006 के क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य महिला सशक्तीकरण मिशन के गठन का निर्णय लिया है। यह मिशन महिलाओं के हितार्थ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन हेतु समन्वय, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगा। मिशन के सहायतार्थ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य अनुश्रवण समिति गठित की जाएगी।

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष नियमावली के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा रानी लक्ष्मी बाई आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना एवं महिला सशक्तीकरण हेतु प्रशासनिक व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत कर दिया है।

नियमावली के प्रख्यापन का मूल उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए तत्काल आर्थिक और चिकित्सा सहायता दिए जाने के साथ–साथ समस्त श्रेणी की पात्र बालिकाओं/महिलाओं के लिए आर्थिक, चिकित्सा और शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है। कोष के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्राविधान किया जाएगा तथा समय–समय पर इसमें आवश्यकतानुसार वृद्धि भी की जाएगी।

महिला सम्मान कोष का संचालन पूरी तरह पारदर्शी, संवादमूलक एवं सार्वजनिक ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इस वेब पोर्टल के विकास राज्य अनुश्रवण समिति के निर्देशन में एन.आई.सी. की प्रदेश इकाई द्वारा किया जाएगा। यह कोष राज्य बजट से संचालित किया जाएगा, किन्तु इस कोष में राज्य सरकार के अलावा केन्द्र सरकार, सरकारी उपक्रमों, जनसामान्य तथा अन्य संगठनों से भी योगदान की धनराशि प्राप्ति का प्राविधान किया गया है।

महिला सशक्तीकरण हेतु 11 जनपदों–आगरा, बरेली, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर तथा वाराणसी में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में रानी लक्ष्मी बाई आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना की जाएगी, जहां पर बालिकाओं/महिलाओं को उनसे जुड़ी योजनाओं का समस्त लाभ एक ही छत के नीचे प्रदान किया जाएगा। आशा

ज्योति केन्द्रों पर हेल्पलाइन सेवाएं (1090 विमेन पावर लाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 108 समाजवादी स्वास्थ्य सेवा) आपस में जुड़ी रहेंगी तथा केन्द्र का प्रशासक सम्बन्धित विभागों की सेवाओं हेतु समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगा। 11 जनपदों में आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रति केन्द्र 05 करोड़ रुपए के हिसाब से वित्तीय वर्ष 2015–16 में 55 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था प्राविधानित है।

केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को राज्य सरकार के बजट से प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय प्रदान करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को राज्य सरकार के बजट से प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार इण्टरमीडिएट शैक्षिक अर्हता रखने वाले शिक्षकों को 01 हजार रुपए, स्नातक, परास्नातक, स्नातक के साथ बी.एड. शिक्षकों को 02 हजार रुपए तथा परास्नातक के साथ बी.एड. शिक्षकों को प्रतिमाह 03 हजार रुपए अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी।

गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा इण्टरमीडिएट शैक्षिक अर्हता रखने वाले शिक्षकों को 03 हजार रुपए, स्नातक, परास्नातक, स्नातक के साथ बी.एड. शिक्षकों को 06 हजार रुपए तथा परास्नातक के साथ बी.एड. शिक्षकों को प्रतिमाह 12 हजार रुपए मानदेय प्रदान किया जा रहा है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए फैसले के क्रम में इण्टरमीडिएट शैक्षिक अर्हता रखने वाले शिक्षकों को 04 हजार रुपए, स्नातक, परास्नातक, स्नातक के साथ बी.एड. शिक्षकों को 08 हजार रुपए तथा परास्नातक के साथ बी.एड. शिक्षकों को प्रतिमाह 15 हजार रुपए मानदेय कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्राप्त होगा। मंत्रिपरिषद ने इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के परिवर्तन/परिवर्धन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत भी कर दिया है।

कानपुर नगर, आगरा, मेरठ एवं वाराणसी में मेट्रो रेल के संचालन हेतु फिजिबिलिटी स्टडी/डी.पी.आर. तैयार करने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विभिन्न नगरों–कानपुर नगर, आगरा, मेरठ एवं वाराणसी नगर की यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुचारू बनाने हेतु पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम के रूप में मेट्रो रेल परियोजना के संचालन हेतु फिजिबिलिटी स्टडी/डी.पी.आर. तैयार करने से सम्बन्धित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के विभिन्न नगरों जैसे कानपुर नगर, आगरा, मेरठ एवं वाराणसी में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए डी.पी.आर. तैयार किए जाने हेतु कन्सल्टेन्ट का चयन खुली निविदा के

माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक ऑफर प्राप्त कर किए जाने के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त नगरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के डी.पी.आर. तैयार किए जाने हेतु निविदा के स्थान पर नामांकन के आधार पर भारत सरकार की अनुभवी एवं विशेषज्ञ संस्था राइट्स को नामांकित किए जाने एवं नामांकन के माध्यम से सीधे राइट्स का चयन किए जाने पर यदि भारत सरकार द्वारा मेट्रो रेल नीति के अनुसार 50 प्रतिशत अनुदानित धनराशि नहीं दी जाती है, तो उक्त धनराशि का वहन भी सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने स्रोतों से किया जाएगा।

लोहिया ग्रामीण आवास योजना की निर्माण लागत, आवासों के क्षेत्रफल, अन्य विशिष्टियों तथा पुनरीक्षण को मछुआ आवास योजना के आवासों पर स्वतः यथावत लागू करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले आवासों के क्षेत्रफल, अन्य विशिष्टियों तथा निर्माण लागत में समय–समय पर होने वाले पुनरीक्षण को मछुआ आवास योजना के तहत निर्मित आवासों पर स्वतः यथावत लागू करने का निर्णय लिया है। लोहिया आवास के लिए दी जाने वाली शासकीय सहायता में से केन्द्रांश की धनराशि घटाकर शेष धनराशि लाभार्थियों को राज्यांश के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों के दैनिक आहार–भत्ते में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव मंजूर

मंत्रिपरिषद ने कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत संचालित चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों के दैनिक आहार–भत्ते की दर में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। आहार–भत्ते की वर्तमान दर 65 रुपये प्रतिरोगी प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिरोगी प्रतिदिन कर दी गयी है।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत संचालित चिकित्सालयों में बीमांकित श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को बर्हिरंग उपचार के साथ भर्ती रखकर अंतरंग उपचार भी किया जाता है। जिसमें भर्ती मरीजों के चिकित्सकीय उपचार के साथ–साथ दैनिक भोजन की भी व्यवस्था श्रम विभाग द्वारा की जाती है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना कामगारों एवं उनके सेवायोजकों के अंशदान पर चलाई जा रही है। योजनांतर्गत कुल व्यय का 7/8 भाग कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली तथा 1/8 भाग राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

भूमि अधिग्रहण के मामलों में वार्षिकी के वितरण हेतु राज्य सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के मध्य निष्पादित एम.ओ.यू. के नवीनीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने भूमि अधिग्रहण के मामलों में भू स्वामियों को देय वार्षिकी (एन्युटी) के वितरण हेतु राज्य सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के मध्य निष्पादित एम.ओ.यू. के नवीनीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है।

ज्ञातव्य है कि भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत अर्जन के ऐसे प्रकरण, जिनमें भू–अर्जन की कार्रवाई पूरी हो गई है अथवा प्रक्रियाधीन है, उनमें अनुमन्य वार्षिकी के सुविधाजनक, सहज और समयबद्ध वितरण के लिए राज्य सरकार तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के बीच 15 जुलाई, 2011 को 3 वर्ष के लिए एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया था, जिसकी अवधि 15 जुलाई, 2014 को समाप्त हो गई है। इस एम.ओ.यू. का नवीनीकरण उन्हीं शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आगामी 3 वर्षों अर्थात् 15 जुलाई, 2017 तक करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2013 के भू–अर्जन अधिनियम के अंतर्गत अनुमन्य वार्षिकी के प्रकरण इस एम.ओ.यू. से आच्छादित नहीं हैं और इसके लिए यथावश्यक पृथक से विचार किया जाएगा।

भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत राज्य सरकार के स्तर से होने वाली कार्यवाही का प्रस्ताव अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' के विभिन्न प्राविधानों के अंतर्गत राज्य सरकार के स्तर से की जाने वाली कार्यवाहियों के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा–10 (खाद्य सुरक्षा के रक्षोपाय के विशेष उपबन्ध) में यह व्यवस्था है कि अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर सिंचित बहुफसली भूमि का अर्जन नहीं किया जाएगा। सथ ही अपवादिक स्थिति में बहुफसली भूमि की किसी जिले की अधिकतम सीमा क्या हो, इसका निर्धारण करने के अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। इसके तहत मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए बहुफसली भूमि के अर्जन की अधिकतम सीमा सिंचित/कुल बुआई क्षेत्रफल की 20 प्रतिशत सीमा रखे जाने का निर्णय लिया है।

मंत्रिपरिषद ने अधिनियम, 2013 के तहत भू–अर्जन व्यय की मद में प्रशासनिक खर्च आदि का निर्धारण भी कर दिया है। इसके अनुसार भूमि अध्याप्ति इकाई के अधिष्ठान के वेतन, भत्तो आदि में प्रतिकर की कुल रकम का 3 प्रतिशत अर्जन के सम्बन्ध में अभिलेखों की तैयारी आदि के सम्बन्ध में प्रतिकर की कुल रकम का 3 प्रतिशत भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु अर्जन अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर आपूर्ति के सापेक्ष मानदेय राशि

हेतु प्रतिकर की कुल रकम का 1.5 प्रतिशत, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी सर्वेक्षण हेतु अन्य सहायक मशीनरी पर होने वाले प्रशासनिक व्यय की पूर्ति हेतु मानदेय राशि हेतु प्रतिकर की कुल रकम का 1.5 प्रतिशत तथा अर्जन प्रक्रिया के अंतर्गत समस्त खर्च पर होने वाले प्रासंगिक व्यय के अंतर्गत प्रतिकर की कुल रकम का 1 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

बांदा से चित्रकूट मार्ग का 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण राज्य सरकार के संसाधनों से कराने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय मार्ग संख्या–76 (झांसी–बांदा–इलाहाबाद–मिर्जापुर मार्ग) पर स्थित जनपद चित्रकूट को जोड़ने हेतु इस मार्ग के कि.मी. 215.00 से कि.मी. 285.00 के मध्य (बांदा से चित्रकूट) तक के भाग को 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर तक चौड़ीकरण का कार्य राज्य सरकार के संसाधनों से कराए जाने एवं पी.सी.यू. मानकों में शिथिलीकरण किए जाने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को 4 लेन/2लेन विद पेव्ड शोल्डर मार्ग द्वारा जोड़े जाने की योजना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके दृष्टिगत यह कार्य प्रदेश सरकार के संसाधनों से कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

यह मार्ग विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों महोबा, कलिंजर तथा धार्मिक नगरी चित्रकूट को जोड़ता है। मार्ग के इस भाग का 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर तक चौड़ीकरण हो जाने से इन स्थानों पर आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा हो जाएगी। इस कार्य की प्रस्तावित लम्बाई 67 कि.मी. एवं लागत 84.14 करोड़ रुपए है।

महोबा से कबरई मार्ग का 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण राज्य सरकार के संसाधनों से कराने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय मार्ग संख्या–76 (झांसी–बांदा–इलाहाबाद–मिर्जापुर मार्ग) पर स्थित जनपद महोबा को जोड़ने के लिए महोबा से कबरई (कि.मी. 162.560 से कि.मी. 178. 00) तक के भाग को 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर तक चौड़ीकरण का कार्य राज्य सरकार के संसाधनों से कराए जाने एवं पी.सी.यू. मानकों में शिथिलीकरण किए जाने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को 4 लेन/2लेन विद पेव्ड शोल्डर मार्ग द्वारा जोड़े जाने की योजना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके दृष्टिगत यह कार्य प्रदेश सरकार के संसाधनों से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। महोबा से कबरई तक मार्ग का 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर तक चौड़ा हो जाने से यह जिला मुख्यालय

कानपुर से जुड़ जाएगा। मार्ग के चौड़ीकृत हो जाने से भविष्य में इस मार्ग पर यातायात बढ़ने की प्रबल सम्भावना रहेगी। इस कार्य की प्रस्तावित लम्बाई 15.400 कि.मी. एवं लागत 1039.47 लाख रुपए है।

ऊर्जा विभाग के निगमों के पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों के अप्रेजल, मूल्यांकन एवं अनुमोदन की व्यवस्था निर्धारित

मंत्रिपरिषद ने ऊर्जा विभाग के निगमों के पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों के अप्रेजल, मूल्यांकन एवं अनुमोदन की व्यवस्था निर्धारित कर दी है। इसके तहत प्रमुख सचिव ऊर्जा की अध्यक्षता में अप्रेजल एवं मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा। तय की गई व्यवस्था इस प्रकार है :–

क0स0	प्रस्ताव की सीमा	अप्रेजल का स्तर	अनुमोदन का स्तर
1	रू0 05.00 करोड़ तक के प्रस्ताव	सम्बन्धित मुख्य अभियंता	सम्बन्धित निदेशक मण्डल
2	रू0 05.00 करोड़ से रू0 25.00 करोड़ तक के प्रस्ताव	प्रमुख सचिव (ऊर्जा) की अध्यक्षता वाली अप्रेजल समिति	संबंधित निदेशक मण्डल की संस्तुति के पश्चात् प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित एप्रेजल मूल्यांकन समिति की संस्तुति के उपरांत प्रशासकीय विभाग के माध्यम से मा0 विभागीय मंत्री का अनुमोदन।
3	रू0 25.00 करोड़ से रू0 100.00 करोड़ तक के प्रस्ताव	प्रमुख सचिव (ऊर्जा) की अध्यक्षता वाली अप्रेजल समिति	सम्बन्धित निदेशक मण्डल की संस्तुति के पश्चात् प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित एप्रेजल मूल्यांकन समिति की संस्तुति के उपरांत उप समिति की संस्तुति के पश्चात ई0टी0एफ0 की संस्तुति पर मा0 विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन।
4	रू0 100.00 करोड़ से रू0 200.00 करोड़ तक के प्रस्ताव	प्रमुख सचिव (ऊर्जा) की अध्यक्षता वाली अप्रेजल समिति	सम्बन्धित निदेशक मण्डल की संस्तुति के पश्चात् प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित एप्रेजल मूल्यांकन समिति की संस्तुति के उपरांत ई0टी0एफ0 की उप समिति की संस्तुति के उपरांत इनर्जी टास्क फोर्स की संस्तुति के पश्चात मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन।
5	रू0 200.00 करोड़ के ऊपर के प्रस्ताव	प्रमुख सचिव (ऊर्जा) की अध्यक्षता वाली अप्रेजल समिति	सम्बन्धित निदेशक मण्डल की संस्तुति के पश्चात् प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित एप्रेजल मूल्यांकन समिति की संस्तुति के उपरांत ई0टी0एफ0 की उप समिति की संस्तुति के उपरांत इनर्जी टास्क फोर्स की संस्तुति के पश्चात विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मंत्रि–परिषद का अनुमोदन।

नई परियोजनाओं के साथ–साथ यदि पूर्व में स्वीकृत किसी परियोजना की लागत में पूर्व स्वीकृति धनराशि से 10 प्रतिशत अधिक वृद्धि होती है तो पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति भी उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार प्राप्त करनी होगी।

संडीला तापीय परियोजना के समझौता ज्ञापन/पी.पी.ए. को निरस्त करने तथा विकासकर्ता को बैंक गारण्टी वापस करने का प्रस्ताव मंजूर

मंत्रिपरिषद ने 1320 मेगावाट क्षमता की संडीला तापीय परियोजना के समझौता ज्ञापन/पी.पी.ए. को आपसी सहमति के आधार पर निरस्त करने तथा विकासकर्ता की बैंक गारण्टी उनको वापस करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

देउचा पचमी कोल ब्लॉक, पश्चिम बंगाल से कोयले के खनन के लिए संयुक्त उपक्रम के गठन हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा देउचा पचमी कोल ब्लॉक, पश्चिम बंगाल से कोयले का खनन किए जाने हेतु संयुक्त उपक्रम के गठन तथा इस सम्बन्ध में अन्य आवंटी कम्पनियों के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है।

गौरतलब है कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम को पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लि., बिहार स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लि., एस.जे.वी.एन.एल., पंजाब स्टेट पावर कारर्पोरेशन, तमिलनाडु जनरेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन के साथ संयुक्त रूप से यह कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। इस कोल ब्लॉक का रिजर्व 2102 मिलियन टन है, जिसमें प्रदेश का अंश 250 मिलियन टन है। यह कोयला मेजा विस्तार, हरदुआगंज विस्तार तथा पनकी विस्तार परियोजना हेतु इस्तेमाल किया जाएगा। संयुक्त उपक्रम के कुल 15 निदेशकों में 2 निदेशक उ0प्र0 राज्य विद्युत निगम द्वारा नामित किए जाएंगे तथा इसमें उत्तर प्रदेश की अंश पूंजी 11.9 प्रतिशत होगी।

अलीगढ़–मथुरा मार्ग के उच्चीकरण/अनुरक्षण हेतु विकासकर्ता के चयन के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एवं ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेण्ट अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने अलीगढ़–मथुरा मार्ग (राज्य राजमार्ग संख्या–80) का उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक–निजी–सहभागिता से कराने हेतु विकासकर्ता के चयन के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आर.एफ.पी.) एवं ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेण्ट को अनुमोदित कर दिया है।

मुजफ्फरनगर–सहारनपुर वाया देवबंद मार्ग के उच्चीकरण/अनुरक्षण हेतु विकासकर्ता के चयन के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एवं ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेण्ट अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने मुजफ्फरनगर–सहारनपुर वाया देवबंद मार्ग (राज्य राजमार्ग संख्या–59) का उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक–निजी–सहभागिता से कराने हेतु विकासकर्ता के चयन के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आर.एफ.पी.) एवं ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेण्ट को अनुमोदित कर दिया है।

वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग सहित उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के अन्य मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन भूमि के प्रीमियम तथा लीज रेण्ट सम्बन्धी शर्त शिथिल

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित किए जा रहे वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग (एस.एच.–5 ए) एवं उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत अन्य मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को सुचारु रूप से कराए जाने हेतु वन भूमि के प्रीमियम तथा लीज रेण्ट से सम्बन्धित शर्त संख्या–27 'क' के शिथिलीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

पैरा–मेडिकल विज्ञान महाविद्यालय, सैफई इटावा के अतिरिक्त आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रायोजना में विभिन्न कार्यमदों के प्रस्ताव को स्वीकृति

मंत्रिपरिषद ने पैरा–मेडिकल विज्ञान महाविद्यालय, सैफई इटावा के अतिरिक्त आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रायोजना में प्रस्तावित 1.20 मीटर कुर्सी तल की ऊँचाई तथा छत की अतिरिक्त ऊँचाई 1.35 मीटर के स्थान पर 1.30 मीटर अर्थात् कुल छत की ऊँचाई 4.20 मीटर तथा प्रायोजना प्रस्ताव में आवासीय एवं अनावासीय भवनों में ग्रिट फिनिश, पेविट टाईल्स, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, वुडन फ्लोरिंग, वॉल पैनलिंग एवं हाईल्यूमिनियम लाइट कार्यमदों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

ज्ञातव्य है कि परिसर के समस्त भवनों में एकरूपता बनाए रखने के दृष्टिगत उक्त प्राविधान स्वीकृत किए गए हैं। पैरा–मेडिकल कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाईल्यूमिनियम लाइट का प्राविधान किया गया है।

पुलिस निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों को सी.यू.जी. मोबाइल फोन की सुविधा प्रदान करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने समस्त जनपदों/अधीनस्थ प्रकोष्ठों में नियुक्त पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक स्तर के सभी 23,282 अधिकारियों, जिन्हें सी.यू.जी. मोबाइल की सुविधा अनुमन्य नहीं है, को मोबाइल फोन की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में टेलीफोन मद में अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथा मोबाइल सेट की व्यवस्था उपभोक्ता कार्मिक द्वारा स्वयं की जाएगी। बी.एस.एन.एल. की तत्समय उपलब्ध सबसे मितव्ययी योजना के अनुसार सी.यू.जी. सिम प्रदान किया जाएगा।

प्रदेश में कानून व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं के त्वरित आदान–प्रदान के लिए मंत्रिपरिषद ने यह फैसला लिया है ताकि पुलिस विभाग के अधिकारीगण आपस में तत्काल सम्पर्क कर सकें।

नगर निगम के पार्षदों तथा नगर पालिका/नगर पंचायत के सभासदों के यात्रा भत्ता हेतु अनुमन्य धनराशि में वृद्धि का प्रस्ताव अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने नगर निगम के पार्षदों तथा नगर पालिका/नगर पंचायत के सभासदों के यात्रा भत्ता हेतु अनुमन्य धनराशि की वृद्धि के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

नगर पालिका एवं नगर पंचायत के सभासदों को निकाय की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रति सभासद 200 रुपए प्रतिमाह तथा नगर निगमों के पार्षदों को सदन की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रति पार्षद 300 रुपए प्रतिमाह यात्रा भत्ता अनुमन्य है। इस यात्रा भत्ते को बढ़ाकर क्रमशः 1000 रुपए एवं 1500 रुपए किया जा रहा है, जिसका वहन सम्बन्धित नगर निगम, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा किया जाएगा।

लखनऊ नगर निगम (विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली, 2014 स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने लखनऊ नगर निगम (विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली, 2014 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित आवंटन समिति इस नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन पत्रों, निविदाओं, प्रस्तावों की संवीक्षा करेंगी और तद्नुसार अनुमोदित करेगी। नियमावली में अन्य बातों के होते हुए भी यदि भविष्य में किसी नियम अथवा उसके किसी अंश में अथवा विज्ञापन कर की दरों

में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो कार्यकारिणी समिति/नगर निगम सदन इस नियमावली में संशोधन करने के लिए अधिकृत होगा।

उ0प्र0 डेवलेपमेन्ट सिस्टम कार्पोरेशन को वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 में ग्राण्ट इन एड के तौर पर 02 करोड़ रु0 की सहायता देने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश डेवलेपमेन्ट सिस्टम कार्पोरेशन द्वारा निःशुल्क दी जाने वाली परामर्शी सेवाओं हेतु दो करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 में ग्राण्ट इन एड के तौर पर देने का निर्णय लिया है।

उ0प्र0 पुलिस समूह 'घ' कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पुलिस समूह 'घ' कर्मचारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अनुसार किसी विशेष जिले या पी.ए.सी. बटालियन या इकाई के किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति सामान्य दशा में किसी अन्य स्थापना में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। किन्तु विशेष परिस्थितियों के अधीन अर्थात प्रशासनिक आधार पर या स्वयं के अनुरोध पर, किसी समूह 'घ' कर्मचारी को सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

केन्द्रीय विद्यालय, चोपन सोनभद्र हेतु भूमि को पट्टे पर देने के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट

मंत्रिपरिषद ने पूर्वी रेलवे द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में केन्द्रीय विद्यालय, चोपन जनपद सोनभद्र हेतु भूमि को पट्टे पर दिए जाने विषयक प्रश्नगत विलेख निष्पादित दिनांक 18 फरवरी, 2002 व निबन्धन हेतु प्रस्तुत दिनांक 08 अप्रैल, 2002 को विलेख निष्पादन के दिनांक 18 फरवरी, 2002 से स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता से मुक्त किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

सूडा के कार्यालय भवन हेतु भूखण्ड आवंटन का प्रस्ताव मंजूर

मंत्रिपरिषद ने नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) (State Urban Development Agency) के कार्यालय भवन हेतु गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–7 में भूखण्ड संख्या–7/23, क्षेत्रफल 4107.92 वर्ग मीटर को आवंटित करने के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण के पूर्व आवंटन पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2013 में आंकलित देय धनराशि 6 करोड़ 44 लाख 17 हजार 886 रुपए तथा वर्तमान मूल्य का 01 प्रतिशत पुनर्जीवन शुल्क 15 लाख 19 हजार 935 रुपए अर्थात् कुल 6 करोड़ 59 लाख 37 हजार 821 रुपए पर उक्त भूखण्ड का आवंटन सूडा को किए जाने के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण को आदेशित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।

ज्ञातव्य है कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा प्रदेश के शहरी गरीबों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इन योजनाओं में राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के प्रशासनिक एवं अधिष्ठान व्यय के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

————————————

PN-CM-Cabinet Decision- 30 Dec, 2014